

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा
1/344 /13

तारीख रजु
05.12.2013

तारीख निर्णय
15.06.2018

उनवान

1. रूस्तम खां पुत्र श्री हुस्मत खां जाति मेव निवासी ग्राम बेराबास तह0 रामगढ़ (अलवर)।
.....वादी

बनाम


1. राजस्थान सरकार जयें जिलाधीश महोदय अलवर।
2. भूमि अधिकारी तहसीलदार रामगढ़।

..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 17 रकबा 13 बिस्वा, 19 मिन रकबा 12 बिस्वा, 30 मिन रकबा 18 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 121 मिन रकबा 17 बिस्वा, 121 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 22 रकबा 13 बिस्वा, 25 रकबा 12 बिस्वा, 48 रकबा 18 बिस्वा, 53 रकबा 10, 54 रकबा 10 बिस्वा, 214 मिन रकबा 17 बिस्वा, 217 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.16, 51 रकबा 0.15, 52 रकबा 0.17, 97 रकबा 0.13, 99 रकबा 0.13, 354 रकबा 0.05, 355 रकबा 0.16, 358 रकबा 0.26 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरेबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। उक्त वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में कस्टोडियन तथा शेष 1/2 हिस्सा मिन वादी की कब्जे काशत गैरखातेदारी की आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात की 1/2 हिस्सा आराजी कस्टोडियन भूमि की खातेदारी जयें इन्तकाल सं0 283 दिनांक 18.02.2011 के तहसीलदार रामगढ़ द्वारा मिन वादी के नाम की जा चुकी है। शेष 1/2 हिस्सा आराजी ताहाल राजस्व रिकार्ड में मिन वादी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज वो अंकन चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर मिन वादी काफी लम्बे समय अर्से से काबिज दाखिल रहकर काशत करता चला आ रहा है। जिससे वादी को उक्त वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिनकी मिन वादी घोषणा कराने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर मिन वादी का कब्जा राजस्थान काशतकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से चला आ रहा है। जिसके समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2010 ला0 2013, 2014 ला0 2017, खसरा गिरदावरी, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2020, मिसल बन्दोबस्त


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

(2)


सम्बत 2058, मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2020, मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2058, हाल जमाबन्दी सम्बत 2067 ला0 2070 संलग्न है। उक्त आरजी में मिन वादी व उसके बुजुर्गों का नाम दर्ज है। इस सम्बन्ध में मिन वादी दिनांक 25.11.2013 को तहसीलदार साहब से मिला तो तहसीलदार साहब द्वारा वादग्रस्त आराजी शेष रकबा 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी करने के लिए कहां जिस बबात वाद प्रस्तुत किया गया।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणात्मक व दुरुस्ती इन्द्राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 17 रकबा 13 बिस्वा, 19 मिन रकबा 12 बिस्वा, 30 मिन रकबा 18 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 121 मिन रकबा 17 बिस्वा, 121 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्बत 2020 में खसरा नम्बर 22 रकबा 13 बिस्वा, 25 रकबा 12 बिस्वा, 48 रकबा 18 बिस्वा, 53 रकबा 10, 54 रकबा 10 बिस्वा, 214 मिन रकबा 17 बिस्वा, 217 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्बत 2058 में हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.16, 51 रकबा 0.15, 52 रकबा 0.17, 97 रकबा 0.13, 99 रकबा 0.13, 354 रकबा 0.05, 355 रकबा 0.16, 358 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरेबास तहसील रामगढ जिला अलवर का शेष 1/2 हिस्सा रकबा का वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख को दुरुस्त कर मिन वादी को खातेदार दरामद किये जाने का अहकाम जारी किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्घे सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण (पैरोकार सरकार) ने उपस्थित होकर इस प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी रूस्तम खां पुत्र हुरमत खां मेव सा0 देह कस्टोडियन दर्ज रिकार्ड है। वादी से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर खातेदारी दिया जाना उचित होगा।

वादी ने दावे के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2067-70, मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2020 व 2058, जमाबन्दी सम्बत 2014, मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2020, खसरा गिरदावरी सम्बत 2014 से 2017 की प्रमाणति प्रति पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत नंगला बंजीरका में दिनांक 15.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2010 ला0 2013, 2014 ला0 2017, खसरा गिरदावरी, मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2020, मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2058, मिलान क्षेत्रफल सम्बत



उपरखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

(3)

2020, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, हाल जमाबन्दी सम्वत 2067 ला0 2070 के अवलोकन से उक्त आरजी में वादीगण व उसके बुजुर्गों का नाम दर्ज है। विवादित आराजी 1/2 हिस्सा जो कस्टोडियन भूमि थी, पर पूर्व में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। शेष भूमि जो कस्टोडियन नहीं है, पर खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित है। उक्त आराजीयात पर वादी काफी लम्बे समय अर्से से काबिज दाखिल रहकर काशत करता चला आ रहा है। जिससे वादी को उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिससे वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 17 रकबा 13 बिस्वा, 19 मिन रकबा 12 बिस्वा, 30 मिन रकबा 18 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 121 मिन रकबा 17 बिस्वा, 121 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 22 रकबा 13 बिस्वा, 25 रकबा 12 बिस्वा, 48 रकबा 18 बिस्वा, 53 रकबा 10, 54 रकबा 10 बिस्वा, 214 मिन रकबा 17 बिस्वा, 217 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.16, 51 रकबा 0.15, 52 रकबा 0.17, 97 रकबा 0.13, 99 रकबा 0.13, 354 रकबा 0.05, 355 रकबा 0.16, 358 रकबा 0.26 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरेबास तहसील रामगढ जिला अलवर का 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काशतकार दर्ज करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका में सुनाया गया।


उपरवाह अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका
पीठासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.

दावा
1/344 /13

तारीख रजू
05.12.2013

तारीख निर्णय
15.06.2018

उनवान

1. रूस्तम खां पुत्र श्री हुरमत खां जाति मेव निवासी ग्राम बेराबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्घे जिलाधीश महोदय अलवर।
2. भूमि अधिकारी तहसीलदार रामगढ़।


..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 17 रकबा 13 बिस्वा, 19 मिन रकबा 12 बिस्वा, 30 मिन रकबा 18 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 121 मिन रकबा 17 बिस्वा, 121 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 22 रकबा 13 बिस्वा, 25 रकबा 12 बिस्वा, 48 रकबा 18 बिस्वा, 53 रकबा 10, 54 रकबा 10 बिस्वा, 214 मिन रकबा 17 बिस्वा, 217 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.16, 51 रकबा 0.15, 52 रकबा 0.17, 97 रकबा 0.13, 99 रकबा 0.13, 354 रकबा 0.05, 355 रकबा 0.16, 358 रकबा 0.26 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरेबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर का 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0